लघु जल विद्युत (एसएचपी) परियोजनाएं पर्यावरण के अनुकूल होती हैं क्योंकि इनमें बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण/वनों की कटाई और मानव बस्तियों के विस्थापन की समस्या नहीं आती। दूरस्थ स्थानों पर और ट्रांसमिशन नेटवर्क के अंतिम छोर पर स्थित होने के कारण, वे वोल्टेज के स्तर को बेहतर बनाने में मदद करती हैं और एक बड़ी ग्रिड विफलता होने पर स्थानीय ग्रिड में भेजा जा सकता है जिससे पूर्ण ब्लैक आउट से बचा जा सकता है। इनसे आसपास के क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और साथ ही, परियोजना क्षेत्रों में किए गए निवेश का एक बड़ा हिस्सा स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी सुधार लाता है। इसके अलावा, इनसे कम से कम 35 से 40 वर्षों के लिए संचालन और रखरखाव के लिए स्थायी नौकरियों का सृजन होता है। इसके अलावा, सूक्ष्म पनबिजली परियोजनाओं (एमएचपी) और पनचक्कियों में भी दूरदराज के क्षेत्रों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने, विकासशील लघु उद्योगों में स्थानीय लोगों की मदद करने और हस्तशिल्प, कालीन निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र आदि जैसे क्षेत्रों में आजीविका की परियोजनाओं में सहायता करने की क्षमता है। इसलिए, ये परियोजनाएं भारत के सतत विकास और ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं क्योंकि ये स्थिरता, उपलब्धता और विश्वसनीयता के मानदंडों को पूरा करती है।

31 मार्च 2017 तक (30 सितंबर तक विस्तारित), मंत्रालय के पास एसएचपी एमएचपी पनचक्कियों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजनाएं होती थीं। हालाँकि वर्तमान में नई परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस मंत्रालय में कोई मौजूदा योजना नहीं है।

इसके अलावा, चूंकि जल संसाधन राज्य का विषय है, अत: एसएचपी परियोजनाओं का वास्तविक कार्यान्वयन राज्य की नीतियों के तहत होता है। एसएचपी परियोजनाओं की स्थापना या इसके आवंटन का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। क्षेत्र के विकास और परियोजनाओं के आवंटन के लिए राज्यों की अपनी नीतियां और प्रक्रिया हैं। एसएचपी परियोजना के लिए तकनीकी-आर्थिक मंजूरियां (टीईसी)/अनुमोदन संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं।